राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–184/2025 दायर दिनांक :– 2.12.2025

जीसीएमएस नं. – 2025/184 निर्णय दिनांक :– 2.12.2025

"ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19–ए धुलेश्वर गोर्डन, अजमेंर रोड, जयपुर

(प्रार्थी)

बनाम्

1. अम्बिका टी एण्ड नाश्ता सेन्टर प्रो. किशोर भुरालाल पाटीदार, निवासी–रेल्वे स्टेशन, पेट्रोल पम्प, जिला–वर्दा महाराष्ट्र 442001, At also:- श्री किशोर भुरालाल पाटीदार पिता श्री भुरालाल पाटीदार, बंधक सम्पति –पट्टा संख्या–7 संकल्प सं. 6 बुक सं. 166, दिनांक 05.07.2019 ग्राम सामलिया, ग्राम पंचायत सामलिया, पंचायत समिति–सागवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्री किशोर भुरालाल पाटीदार पिता श्री भुरालाल पाटीदार, पत्नी श्री कालु दर्जी निवासी–एक्में किराणा शॉप के पास, कृष्णा नगर जिला वर्दा महाराष्ट्र 442001
3. श्रीमति संगिता पाटीदार पत्नी श्री किशोर पाटीदार निवासी–टेम्वा फला, सामलिया, सागवाडा जिला डूंगरपुर

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

–:: आदेश ::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19–ए धुलेश्वर गोर्डन, अजमेंर रोड, जयपुर", ने अप्रार्थीगण को दिनांक 15.02.2021 को रू. 11,00,000/–अक्षरे ग्याराह लाख मात्र रूपये ऋण सुविधा नगद उधार ऋण के रूप में दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी " ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" ने अप्रार्थीगण की सम्पति रहन रखी, जिसका विवरण नीचे दर्ज हैः–श्री किशोर भुरालाल पाटीदार पिता श्री भुरालाल पाटीदार, बंधक सम्पति–पट्टा संख्या–7 संकल्प सं. 6 बुक सं. 166 दिनांक 05.07.2019 ग्राम सामलिया, ग्राम पंचायत–सामलिया पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर स्थित आवासीय प्लॉट जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पति के विभिन्न अंग है, उसका कुलिया माप 1548.06 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में आंगन मय रास्ता, पश्चिम मे देवेंग/गमीरा का मकान, उत्तर में प्रकाश/भुरालाल पाटीदार का मकान एवं दक्षिण में केवल/हेंमजी पाटीदार का मकान स्थित हैं,

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 10.04.2025 को डिफाल्टर (एन.पी.ए) घोषित किया गया। बकाया ऋण राशि रूपया 11,11,500/– दिनांक 15.04.205 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च निकलते है। उक्त ऋण खाता डिफाल्टर घोषित होने से ऋणी को दिनांक 16.04.2025 को नोटिस जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,को दिया गया। प्रार्थी अप्रार्थी से जब तक सम्पूर्ण वकाया राशि का भुगतान नही हो जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहन शुदा सम्पति का कब्जा सभंलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी ने उसके खाते में देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस के बावजूद भी प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को राशि जमा नही कराया है। उक्त अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में उक्त रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी को दिलवाने का आदेश जारी करनें की मांग की।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अप्रार्थीगण उपस्थित नही है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नही है, क्योंकी यहा से कोई न्यायिक निर्णय नही किया जाना हैं।

मेने वकील प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पति को **ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,** में रहन रखकर **दिनांक 15.02.2021 को रूपया 11,00,000/–**ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नही चुकाया जिसकी वजह से **दिनांक 10.04.2025** को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते में **रूपया 11,11,500/–रूपये दिनांक 15.04.2025** तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण का खाता डिफाल्टर घोषित होने के कारण इस एक्ट की धारा 13(2) कें अन्तर्गत प्रार्थी **ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,** ने ऋणी (अप्रार्थी) को दिनांक **16.04.2025** को नोटिस के बावजूद अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी **ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,** को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज में बधंक के रूप में रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी **ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,** को दिलवाया जाना आवश्यक हैं। अतः **प्रार्थी** द्वारा ऋणी से नियमित रूप से राशि जमा करवाने हेतु प्रयास किये गये तथा डिफाल्टर घोषित कर सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत ऋणी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु ऋणी द्वारा बावजूद नोटिस के अपेक्षित राशि जमा नही कराई गई। दी सिक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकंन्शट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत " **ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड** ", का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं।कि प्रार्थी को बन्धक रखी सम्पति श्री किशोर भुरालाल पाटीदार पिता श्री भुरालाल पाटीदार, बंधक सम्पति–पट्टा संख्या–7 संकल्प सं. 6 बुक सं. 166 दिनांक 05.07.2019 ग्राम सामलिया, ग्राम पंचायत–सामलिया पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर स्थित आवासीय प्लॉट जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पति के विभिन्न अंग है, उसका कुलिया माप 1548.06 वर्गफीट है।, उक्त सम्पति को अप्रार्थी सें प्राप्त कर जरिये पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर प्रार्थी " **ए.यु. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड** " को सभ्भलायें जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। विपक्षीगण ऋणी द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की कियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक डुंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती हैं ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 2/12/25 .....को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)